फर्द अहकाम

अशोक कुमार बनाम कपाड

नाम न्यायालय ACJ

केस संख्या 11/64/22

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	19/12/24	पत्रावली पेश हुई। वकील उपस्थित। वकील उपस्थित की बहस पर सुनी गई। बहस सुनी जाकर पक्षकारों का मय इलवाद अवलोकन किया गया। इलवाद के विवरण तक वादग्रस्त आराजीपात को संरक्षित बनाये रखना उचित समझते हैं। अतः अर्थी का प्रार्थना अस्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है। पक्षकारों को इलवाद के विवरण तक दिनांक 17/5/22 को जारी केवियट तक दिनांक 17/5/22 को जारी केवियट तक अस्थायी निषेधाज्ञा की कार्यवाही होते हुए जारी अस्थायी निषेधाज्ञा के पश्चात किया जाता है। विवादग्रस्त भूमि 4 रकबा 0.12 है० 2 रकबा 0.51 है० कुल रकबा 6 रकबा 0.63 है० बाउंड्रीज 2 कुल रकबा 0.63 है० बाउंड्रीज उपयुक्त चारदीवारी पटवार हल्का जयपुर के कि कुल लुकिंग वाल नजीर मोहल्ला जिला जयपुर स्थित के मौके एवं स्थिति की यथास्थिति बनाये रखी। पक्षकारी मौजूदा कुमार बैरा डिक्रेन्ट के कुल होकर आगे रफ्ता हो। निर्णय वाद दिनांक 19/12/24 को लिखाया जाकर कर रजिस्टर कराया गया।

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय, जयपुर